



# यूजेवीएन लिमिटेड UJVN Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कारपोरेट एवम् पंजीकृत कार्यालय  
Corporate & Regd. Office

"उज्जवल" महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248 006

"Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006

दूरभाष- 0135-2763508 फैक्स सं० 0135-2763507

Phone- 0135-2763508, Fax-0135-2763507

मानव संसाधन विभाग,  
Human Resources Department.

"यमुना भवन" यमुना कालोनी, देहरादून-248 001

"Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248001

दूरभाष- 2530584 / 2531343 / 2530909 फैक्स सं० 0135-2531646

Phone- 2530584/2531343/2530909, Fax-0135-2531646

संख्या 9491 / यूजेवीएन लि / 05 / औ०सं० / एम-4

दिनांक 18-9-14

## कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं० 2891/यूजेवीएन लि/कार्मिक/एम-4 दिनांक 04.05.2012 के क्रम में चामुण्डा सर्जिकल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सैन्टर, रामनगर रोड़, काशीपुर को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाह्य रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2015 तक 2 (दो) वर्ष के लिये मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

- उक्त चिकित्सालय पूर्व आदेश सं० 2891/यूजेवीएन लि०/कार्मिक/एम-4 दिनांक 04.05.2012 के साथ संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर 15 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से रीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं० 4452-ओस-17/पाकालि/2002-11(1)एफ/80 दिनांक 09.12.2002 के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों का उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं एवं उक्त आदेश के बिन्दु 06 की व्यवस्था के अनुसार चिकित्सालय को निगम द्वारा प्रदत्त दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति (प्रारूप संलग्न) रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अस्पताल प्रबन्धक को आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

- किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत का समाधान न होने पर।
- दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, किन्तु वह अस्पताल के बिल में सम्मिलित हैं। यह मान्यता का उल्लंघन माना जायेगा।
- अगर अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, तो उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

अगर किसी अस्पताल के विरुद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आती है, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्गत मान्यता सम्बन्धी आदेश की किसी भी बिन्दु की अवहेलना करने पर अस्पताल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।


उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

प्रबन्ध निदेशक

Ms. Deepika Sharma  
For upkeeling  
on website  
19/9/14

संख्या: १५११ / यूजेवीएन लि / ०५ / औ०सं० / एम-४, तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  3. निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  4. अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि० / या०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
  6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  7. उपमुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड
  8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
  9. वरिष्ठ प्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
  10. प्रबन्धक, चामुण्डा सर्जिकल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सैन्टर, रामनगर रोड, काशीपुर
  11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद-उत्तराखंड, २१-फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून
  12. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)

  
(राजेन्द्र सिंह) 16/09/14  
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)